हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या......................... / ....उनवान............................वनाम...........................

21/1/26

पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 27/1/2026 को पेश हो।

27/1/26

पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 28/1/26 को पेश हो।

28/1/26

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी एवं परिवादी सरकार की मूल प्रा०पत्र धारा 251(अ) पर बहस सुनी गई। विरुद्ध [illegible] प्रा०पत्र अस्वीकार कर खारिज किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 92/2018

1. श्योदयाल पुत्र स्व० छगनलाल उम्र करीबन 43. वर्ष
2. जमनलाल पुत्र स्व० मोहनलाल उम्र करीबन 36... वर्ष
3. मंगलचन्द पुत्र स्व० बंशीलालः उम्र करीबन 4.8. वर्ष
4. केसरमल पुत्र स्व० बंशीलाल उम्र करीबन 33... वर्ष
5. रामप्रसाद पुत्र स्व० चतरा उम्र करीबन बालिग वर्ष
6. गजानन्द पुत्र स्व० मोती उम्र करीबन 36 वर्ष
7. प्रभाती बेवा स्व० मोती उम्र करीबन .. 68. वर्ष

सर्व जाति रेगर सर्व निवासीगण ग्राम रलावता तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान । –प्रार्थीगण

बनाम

1. मैसर्स बेस्टॉन माईन्स एण्ड मिनरल्स प्रा०लि० रजिस्टेड कार्यलय मार्बल शॉप, सी–1, राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर एवं अप्रार्थी पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 28.01.2026

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री रामदेव गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व संयुक्त शिकमी काश्तकार (टीनेन्ट) की कृषि आराजी ग्राम खातौली पटवार हल्का खातौली तहसील किशनगढ़ में अवस्थित हैं जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 338 जिसके साबिक खसरा नम्बर 425 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा है जिसमें प्रत्येक प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से हिस्सा निहित है जिसमें प्रार्थीगण काबिज काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5 के तहत् स दभाविक कृषक हैं। विवादग्रस्त आराजी की सीमा निम्न प्रकार से हैं, उत्तरः– खसरा नम्बर 933/4, दक्षिण :– अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी, पूर्व खसरा नम्बर 934 अप्रार्थी की आराजी जिसमें से रास्ता चाहा गया है। पश्चिम :– खसरा नम्बर 339 जो अप्रार्थी की आराजी स्थित है। प्रार्थीगण की आराजी के सहनिकट अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है जो ग्राम रलावता के खसरा नम्बर 934 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने जाने एवं ट्रेक्टर ट्रोली, फसल को लाने ले जाने एवं मवेशियों को लाने ले जाने का उपयोग करते है। अप्रार्थी की आराजी के खसरा नम्बर 934 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा है जिसके राजस्व ट्रेस में खसरा नम्बर 934 है। उक्त आराजी में से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी खसरा नम्बर 338 में आते है प्रार्थीगण की आराजी राजस्व ग्राम खातौली में अवस्थित है। अप्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी के खसरा नम्बर 934 से लगती हुई नेशनल हाईवे जो किशनगढ़ से मंगलाना होते हुये हनुमानगढ़ जाने वाली हाईवे है जिसके खसरा नम्बर 935 है। प्रार्थीगण अपनी शिकमी आराजी की भूमि खसरा नम्बर 338 पर आने–जाने के लिये खसरा नम्बर 934 में से आते जाते रहे है एवं उपयोग उपभोग करते आ रहे है। अधिकार अभिलेख में रिकोर्डेड रास्ता न होने के कारण अप्रार्थी आने जाने में बाधा कारित करते है एवं मौके पर पक्का निर्माण किया जा रहा है। जबकी अप्रार्थी की भूमि नेशनल हाईवे से 50 मीटर की दूरी के अन्दर है जिसपर अवाप्ति हेतु चिन्हित भी की जा चुकि हैं

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

ण का किया गया निर्माण वैधानिक रिती से विपरित हैं एवं प्रार्थीगण उपरोक्त आराजी में से 30 रास्ता प्राप्त करने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है एवं 30 फीट रास्ते में जो भूमि की रास्ते के उपयोग में आती है प्रार्थीगण नियमानुसार अर्थात राज्य सरकार निर्धारित डि०एल०सी० राशी प्रदत्त करने के लिये तैयार व तत्पर है। इस कारण से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से श्रीमान् के सेवा में पेश किया जा रहा है। प्रार्थीगण की संयुक्त आराजी ग्राम खातौली वर्तमान खसरा नम्बर 338 रकबा 6 बीघा 12 में आने–जाने के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी जो ग्राम रलावता के खसरा नम्बर 934 जो ग्राम रलावता की सरहद में स्थित है। जिसमें पश्चिम से पूर्व दिशा में होकर नेशनल हाईवे जो खसरा नम्बर 935 पर आते है। प्रार्थीगण की भूमि से रोड तक पहुंचने हेतु निकटम, सरलतम, लघुतम रास्ता उपलब्ध यही रास्ता है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता प्राप्त करना अतिआवश्यक है अन्यथा प्रार्थीगण अपनी आराजी में मवेशी, ट्रेक्टर–ट्रोली, घास–पुस, कृषि यंत्र लाने–ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो जायेगा जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तनिय क्षती होगी। प्रार्थीगण द्वारा संलग्न नजरी नक्शे में सबसे निकटतम एवं उत्तम रास्ता ए से बी दर्शित किया गया है जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावें। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रत्येक काश्तकार को अपनी भूमि पर पहुंच के लिये रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में संशोधित प्रावधान धारा 251–ए के तहत पेश किया जा रहा है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय में रास्ता हेतु आदेश होने पर वर्तमान डी.एल.सी. रेट के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह अप्रार्थी को देने को तत्पर है। यदि अप्रार्थी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार निर्धारित मूल्य प्राप्त करने में असमर्थता प्रकट करते है तो प्रार्थीगण सद्भाविक रूप से निर्धारित मूल्य को राजकीय कोष में जमा कराने के लिए तत्पर व तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण दिनांक 03.04.2018 को जब उत्पन्न हुआ कि अप्रार्थी अपनी आराजी में बिना अप्रार्थी संख्या 2 की सहमती के बिना पक्का निर्माण किया जा रहा है एवं प्रार्थीगण को रास्ता देने के लिये इन्कार कर दिया जबकी प्रार्थीगण का रास्ता प्राप्त करने का विधायकी द्वारा पारीत अधिनियमों के तहत् प्रथम अधिकारी है। एकमात्र अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी से सुलभ रास्ता अन्य आराजी में से नहीं है। यह रास्ता अतिनिकटतम, सरलतम, लघुतम है। अप्रार्थी द्वारा इन्कार करने से दिनांक 04.04.2018 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी प्राप्त कर अविलम्ब रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती कारण निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण की शिकमी काश्तकार (टीनेन्ट) व उपयोग उपभोग की आराजी ग्राम खातौली पटवार हल्का खातोली तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 338 में आने जाने एवं मवेशी, ट्रेक्टर ट्रोली लाने, ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी ग्राम रलावता पटवार हल्का रलावता के खसरा नम्बर 934 रकबा 7 बीघा 1 बिस्वा में से संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता दिलवाने के आदेश प्रदान करावे एवं अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना को डी.एल.सी. रेट के अनुसार निर्धारित मूल्य अप्रार्थी को अदा करने के लिए तत्पर एवं तैयार है। अप्रार्थी द्वारा निर्धारित मूल्य प्राप्त नहीं करने पर राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थीगण तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2018 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। दिनांक 20.09.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 05 नियम 20 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे स्वीकार किया गया तथा अखबार साया हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 07.02.2024 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 का अखबार साया पेश किया गया। दिनांक 31.07.2024 को तहसीलदार किशनगढ में जवाब पेश कर निवेदन किया कि बिन्दु सं. 1 अस्वीकार है कि ग्राम खातोली की वर्तमान जगाबन्दी अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2068–2071 जमाबन्दी 2077 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता संख्या 181 ख.नं. 338 रकबा 6.1200 हैक्टर पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज नही होकर रसूल खॉ वल्द अजीम खाँ कौम गुसलमान सा. रलावता खातेदार के नाम दर्ज है। बिन्दु सं. 2 आंशिक स्वीकार है। ग्राम खातौली के ख.न. 338 के उत्तर में ख.नं. 933/4 व दक्षिण में अप्रार्थी सं. 1 की आराजी की भूमि नही होकर ख.नं. 343 रकबा 0.0566 हैक्टर किस्म रास्ता पर कुलदीप कुमार पुत्र ओमप्रकाश हिरसा 1/6 महादेव मार्बल्स वगै. खातेदार दर्ज है। व पश्चिम में ख.नं. 339 जो अप्रार्थी के नाम दर्ज है तथा पूर्व में ग्राम रलावता मे ख.नं. 934 स्थित है। बिन्दु सं. 3 प्रार्थीगण स्वयं सिद्ध करे। कि ग्राम खातौली के उक्त ख. नं. 338 का खातेदार पाकिस्तान मे स्थायी रूप से निवास करने से उक्त भूमि निष्कान्त भूमि की श्रेणी होने से वाद खारिज योग्य है। रिर्पोट श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

2. हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र का गहन विवेचन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि वादअधीन भूमि वर्तमान खसरा संख्या 338 ग्राम खातौली प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं है ना ही वाद संस्थन के समय उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज थी अतः प्रार्थीगण वादअधीन भूमि में खातेदार दर्ज नहीं है एवं प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में खातेदार नहीं होने के कारण राज.काश्तकारी अधि. 1956 के अनुसार धारा 251क में अप्रार्थी की भूमि में से रास्ता पाने के अधिकारी नहीं है। वादअधीन भूमि रसूल खां पुत्र अजीम खां कौम मुसलमान सा. रलावता खातेदार के नाम दर्ज है जो कि पाकिस्तान में स्थायी रूप से निवास कर रहा है जिससे वादअधीन भूमि निष्कान्त श्रेणी की है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 28.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

28/1/26

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ।